मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

समग्र

जनधन परिपत्र क्रमांक - 1

क्रमांक/2014/170/432 भोपाल, दिनांक 06/09/14

प्रति,

1. संभागायुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त (समस्त), नगर निगम, मध्यप्रदेश
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), नगर पालिका/नगर पंचायत, मध्यप्रदेश
6. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मध्यप्रदेश
7. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त निजी क्षेत्र के बैंक, मध्यप्रदेश
8. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्यप्रदेश
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपल
10. आंचलिक प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा कम्पनी लि0 भोपाल
11. क्षेत्रीय प्रबंधक, न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0 भोपाल
12. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड इडिण्या इंश्योरेंस कम्पनी लि0 भोपाल
13. क्षेत्रीय प्रबंधक, ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 भोपाल
14. क्षेत्रीय प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 भोपाल
15. अग्रणी जिला प्रबंधक (समस्त), मध्यप्रदेश

विषय- प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही करने बावत।

- 0 -

जैसा कि आपको विदित है कि म.प्र. राज्य जनसंख्या पंजी (समग्र) पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त परिवार के सदस्यों की समस्त जानकारी के साथ उनके बचत खातों की जानकारी को रखने एवं अपडेट करने की ऑनलाईन व्यवस्था उपलब्ध है। राज्य जनसंख्या पंजी पर उपलब्ध बचत खाते की जानकारी का उपयोग सत्यापन उपरांत शासन की विभिन्न परिवारमूलक एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं के अंतर्गत सुविधाओं का लाभ देने हेतु किया जा रहा है एवं सत्यापित बचत खातों मे राशि का भुगतान किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत प्रत्येक परिवार के कम से कम दो बचत बैंक खाते खोले जाकर **RuPay Debit Card** का वितरण किया जाना है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, ऑनलाईन समीक्षा एवं योजना का अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने हेतु योजना का क्रियान्वयन बैंको के सहयोग के साथ समग्र पोर्टल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय समावेशन के यह आवश्यक है, कि बैंक किसी व्यक्ति का बचत खाता खोलते समय उसका **फोटो** एवं **बायोमेट्रिक** संधारण कर लें जिससे कि व्यक्ति को वित्तीय सुविधाओं का लाभ निकटतम स्थान से सुविधाजनक रूप से प्राप्त हो सकें।

समग्र प्रणाली पर जनधन योजना के लिये जनधन समग्र पोर्टल (**jandhan.samagra.gov.in** or **samagra.gov.in/jandhan**) एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया हैं एवं इसके माध्यम से समस्त बैंक एवं अन्य सभी यूजर को विभिन्न जानकारी एवं सुविधाएं प्रदान की जावेगी।

समग्र पोर्टल पर बैंक को अपने **Service Area** मे निवासरत समस्त परिवारों एवं व्यक्तियों की जानकारी को देखने व डाउनलोड करने की सुविधा होगी। ऐसे परिवारों एवं सदस्यों की जानकारी भी उपलब्ध होगीं जिनके बचत खातों की जानकारी की प्रविष्टि पोर्टल पर नहीं है। उक्त जानकारी के आधार पर बैंक, कैंप आयोजित कर बचत खाते खोलने की कार्यवाही कर सकते हैं। बचत खातो की जानकारी राज्य स्तर पर संबंधित बैंको के द्वारा समग्र मिशन को उपलब्ध कराई जावेगीं।

सदस्यों के बचत खाते खोलकर **RuPay Debit Card** उपलब्ध कराने एवं समग्र डेटाबेस में प्रविष्टि करने की निम्न प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाना है :-

1. योजना का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर (जिला मिशन लीडर) की अध्यक्षता एवं मागदर्शन में किया जायेगा। जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी (DIO) जिला स्तर पर बैंक एवं अन्य कार्यालयों को तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करायेंगे।
2. जिला कलेक्टर (जिला मिशन लीडर), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (उप मिशन लीडर) को इस कार्य हेतु जिलें में नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे तथा आयुक्त नगर निगम (उपमिशन लीडर) उनके कार्यक्षेत्र मे नोडल अधिकारी रहेंगे । वे सप्ताह में एक दिन बैंकर्स के साथ योजना के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (सहायक मिशन लीडर) एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं मुख्य नगर परिषद अधिकारी (सहायक मिशन लीडर) को उनके कार्यक्षेत्र हेतु नोडल

अधिकारी बनाया जाता है। वे सप्ताह में एक दिन बैंकर्स के साथ योजना के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेगें एवं अन्य कार्यालयों के साथ समन्वय करेंगे।

4. जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका / नगर परिषद अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि योजना का प्रचार-प्रसार किया जाये जिससे कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

5. जिला एवं स्थानीय (नगरीय एवं ग्रामीण) प्रशासन सर्वप्रथम एवं प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य जनसंख्या पंजी पोर्टल पर ग्रामवार/वार्डवार परिवार एवं व्यक्तियों की जानकारी शुद्ध, प्रमाणिक एवं अपडेट हो जिसके आधार पर उसे समग्र कार्ड / RuPay Card जारी किया जा सकें ।

6. प्रत्येक जिले के लीड बैंक मैनेजर **(LDM)** के लिए राज्य समन्वयक बैंक (Central Bank of India) को समग्र पोर्टल पर एनआईसी द्वारा यूज़र आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया गया हैं, जिसकी सहायता से लीड बैंक मैनेजर सत्यापित परिवारों एवं सदस्यों की जानकारी को डाउनलोड कर सकेगे जिनका बचत बैंक खाता खोला जाना है। लीड बैंक अपने समस्त सहयोगी बैंक एवं **USB (Ultra Small Branch)** को उनके कार्य क्षेत्र के लिए सूची उपलब्ध करायेगें। सहयोगी बैंक एवं **USB** उनके कार्यक्षेत्र में निवासरत परिवारों की सूची स्थानीय निकायों से भी प्राप्त कर सकते है।

   सभी बैंको के जिला कार्यालय को भी उपरोक्त कार्य हेतु जनधन समग्र पोर्टल पर यूजर आई.डी. व पासवर्ड उपलब्ध करायें जा सकते है। इस हेतु वे **NIC के जिला अधिकारी अथवा राज्य स्तर पर समग्र मिशन से संपर्क किया जा सकता है।**

7. प्रदेश के सभी ग्रामों को इस प्रकार मैप किया जाना होगा कि वे यथासंभव किसी एक बैंक ब्रांच या उसकी **USB** के **5 K.M.** के दायरे में वित्तीय सेवाओ का लाभ प्राप्त कर सकें। ग्राम के समस्त निवासियों को यह ज्ञात होना चाहिये कि उन्हें इस योजना का लाभ पहुचाने हेतु किस बैंक ब्रांच या **USB** को जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कि वे अधिकारपूर्वक योजना का तथा अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ ले सकें। जिले के समस्त ग्रामों को बैंको से **Map** करने की संपूर्ण कार्यवाही कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली **DLCC** बैठक में अनुमोदित होगीं। इसी प्रकार नगरीय निकायों हेतु की गई **Mapping** का अनुमोदन भी **DLCC से करा लिया जाए।**

8. स्थानीय निकायों द्वारा परिवार एवं सदस्यों की विस्तृत जानकारी ग्राम/वार्ड वार बैंक को उपलब्ध कराई जायेगी। जिसमें समग्र परिवार आईडी, समग्र सदस्य आईडी, नाम, लिंग, आयु, पिता/पति का नाम, आधार नम्बर (यदि उपलब्ध एवं सत्यापित हो तो), पता, मोबाईल नम्बर एवं बचत बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध होगी।

9. बैंक राज्य जनसंख्या पंजी (समग्र) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को प्राप्त कर ऐसे व्यक्तियों को चिंहित करेंगे जिनके बचत खाते नहीं खुले हुये है अथवा पोस्ट आफिस अथवा दूरस्थ की बैंक शाखाओं मे है को प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम इन हितग्राहियों के बचत खाते खोलकर उन्हें **RuPay Debit Card** एवं समग्र कार्ड उपलब्ध करायेगे।

10. ऐसे व्यक्तियों को भी **RuPay Debit Card** उपलब्ध कराया जायेगा, जिनके पास पूर्व से ही बैंक बचत खाते है, किन्तु **RuPay Debit Card** उपलब्ध नहीं है।

11. राज्य जनसंख्या पंजी से जानकारी को डाउनलोड कर बैंक बचत खाते खोलने हेतु सर्वे का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक की सहायता से करेगें तथा नगरीय क्षेत्रों मे कलेक्टर (जिला मिशन लीडर) द्वारा नामांकित अधिकारी/कर्मचारी इस सर्वे मे आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। सर्वे हेतु चिन्हित कर्मचारी निम्न प्रक्रिया अनुसार सर्वे कार्य करेगें :-

- वे यह सुनिश्चित करेगें कि राज्य जनसंख्या पंजी (समग्र) पोर्टल पर उनके क्षेत्र में निवासरत समस्त परिवारों एवं सदस्यों की जानकारी सत्यापित हो एवं सत्यापन के पश्चात अगर जानकारी में कोई भिन्नता होती है, तो सत्यापित जानकारी के आधार पर अपडेट करेंगे।
- यदि आधार नम्बर उपलब्ध है, परन्तु समग्र पोर्टल पर दर्ज नहीं है, तो उसे दर्ज करेंगे।
- आवश्यकतानुसार वे कैम्प के आयोजन मे बैंक को स्थान, सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करायेंगे, जिससे कि बैंकों को व्यक्तियों के फोटोग्राफ, बायोमैट्रिक एवं बैंक बचत खाते खोलने एवं संचालन करने मे सुविधा रहे।
- वे यह सुनिश्चित करेगें कि उनके क्षेत्र में निवासरत समस्त सदस्यों को योजना की जानकारी हो जिससे कि वे बैंक बचत खाता खुलवाने मे बैंक को सहयोग कर सकें।
- ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना जिनके बैंक बचत खाते नहीं खोले गये है, उन सभी के बैंक बचत खाते खुलवाना सुनिश्चित कर उसकी प्रविष्टि राज्य जनसंख्या पंजी (समग्र) पोर्टल पर करना सुनिश्चित करेगें।

12. इस व्यवस्था के अंतर्गत समस्त बैंक निम्न प्रक्रिया का पालन करेगें :-

- योजना के क्रियान्वयन हेतु लीड बैंक मैनेजर **(LDM)** नोडल अधिकारी होगें जो अन्य सहयोगी बैंक के साथ समन्वय करेंगे।
- **LDM** यह सुनिश्चित करेगें कि, प्रत्येक ग्राम की **Mapping** बिंदु क्रमांक 10 अनुसार हो।
- **LDM** ग्राम / वार्डवार बैंक एवं बैंक शाखाओं की सूची कलेक्टर को निम्नानुसार उपलब्ध करायेगे जिसे लीड बैंक द्वारा समग्र पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा :-

S.No.	District	Janpad Panchayat / ULB	Gram Panchayat / Zone	SAMAGRA Code of Village / ward	Village /Ward Name	Bank Name	Branch IFSC Code	Branch Address	USB Code	USB details
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Bhopal	Nagar Plika, Kolar	Zone1	10234	Ward1		(उदाहरण स्वरुप अंकित)			
2	Raisen	Silwani	Bamhori	23001	Bamhori kalan					

- बैंक ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भवन, स्कूल इत्यादि अथवा कोई अन्य उपयुक्त स्थान एवं शहरी क्षेत्र में उपलब्धता अनुसार उपयुक्त स्थान का चयन कर कैम्प का आयोजन करेगें। जहां कैम्प का आयोजन किया जायेगा, वहां बिजली, पानी, फर्नीचर एंव अन्य आवश्यक सुविधाएं हो, यह सुनिश्चित करेगें।
- Banks को Unique Identity के रूप में SAMAGRA ID (9 Digit) को भी अपने अपने सॉफटवेयर में उपलब्ध कराने का प्रावधान करना होगा।
- SAMAGRA ID को योजना अंतर्गत Bank Account को Open करते समय अनिवार्य किया जाये, इस हेतु सभी बैंक अपनी बैंक शाखाओं को निर्देशित करेगें। SAMAGRA ID के आधार पर ही डेटा समग्र के साथ साझा किया जा सकता है एवं इसी के आधार पर ही योजना के क्रियान्वयन की ऑनलाईन समीक्षा संभव हो सकेगीं।
- सभी शाखाओं में उनके Service Area मे आने वाले सभी परिवार एवं सदस्यों की जानकारी उपलब्ध रहेगी जिससे कि वे आवश्यकतानुसार किसी व्यक्ति का खाता खोलते समय समग्र आई.डी. जान सकते है।
- संबंधित बैंक व्यक्ति के फोटोग्राफ एवं बायोमैट्रिक प्राप्त करेंगे जिसे समग्र के साथ आपसी सहमति के आधार तय प्रक्रियानुसार राज्य स्तर पर साझा किया जायेगा।
- बैंक समस्त जानकारी प्राप्त कर RuPay Debit Card एवं समग्र कार्ड प्रींटिग हेतु भेजेंगे।
- व्यक्ति का बचत खाता खोलने के उपरांत उस व्यक्ति को समग्र कार्ड जिसमें समग्र परिवार आई.डी., समग्र व्यकितगत आई.डी., आधार नम्बर (यदि उपलब्ध है), फोटो, नाम होगा जारी किया जाएगा।
- बचत खाते खुलने के उपरांत व्यक्ति को RuPay Debit Card जिसमें समग्र परिवार आईडी, समग्र व्यकितगत आई.डी., आधार नम्बर (यदि उपलब्ध है) भी होगी।
- RuPay Debit Card एवं समग्र कार्ड के वितरण की कार्यवाही संबंधित जिले के कलेक्टर के मार्गदर्शन में की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवार तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्डवार कैम्प लगाकर विधिवत् रूप से पावती लेकर इन कार्डो का वितरण किया जाएगा।

- योजना के अंतर्गत खोले गये खातो को उस परिवार/ सदस्य का अधिकृत खाते के रूप मे चिन्हांकन कर शासन की समस्त योजनाओं की राशि का लाभ सीधे हस्तातरण किया जावेगा जिससे कि खाते सतत् प्रचलन मे रहें।

(डॉ. अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक/2014/ 170/433 भोपाल, दिनांक 06/09/14

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
4. आयुक्त संस्थागत वित्त भोपाल।
5. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. विंध्याचल भवन भोपाल।

अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग